न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 44 / 2023

(GCMS 2023/166)(212222783682919)

निर्मला पुत्री रामकुमार पत्नी दौलतराम जाति कुम्हार, निवासी वजीपुरा कटियावाली तहसील फाजिल्का (पंजाब)(मोबाईल नं. 96469–75643)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से श्री पृथ्वीराज शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2023 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी निर्मला ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2023 के द्वारा तहसीलदार(राजस्व) से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> मदनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री रामकुमार जाति कुम्हार, निवासी 22 जीजी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 59 मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 24, 25 की भूमि पर मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा रामनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के रहन रख कर ऋण लिया, रहन रखी गई भूमि की समस्त पत्रावली पटवारी हल्का बुर्जवाली से उपलब्ध करा पटवारी हल्का के पास पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:21:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक भू.अ. / आर.टी.आई. / 2023 / 3045 दिनांक 20.07.2023 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

प्रश्न	उत्तर
मदनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री रामकुमार जाति कुम्हार, निवासी 22 जीजी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 59 मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 24, 25 की भूमि पर मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा रामनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के रहन रख कर ऋण लिया, रहन रखी गई भूमि की समस्त पत्रावली पटवारी हल्का बुर्जवाली से उपलब्ध करावें, पटवारी हल्का के पास पत्रावली है।	चक 22 जीजी मु.नं. 23 के संयुक्त खाता का नामान्तरण संख्या 368 जरिये डाक भिजवाया जा रहा है। रहन करवाने हेतु संयुक्त खाता की पत्रावली काश्तकार द्वारा पटवारी हल्का से तैयार कर बैंक में जमा करवा दी जाती है। जो पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण नकल दिया जाना सम्भव नहीं है।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार प्रार्थी को सूचित किया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार [illegible] वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:21:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि **वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep
Date: 2024.01.23 17:21:18 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर